जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/66 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 8 दिसम्बर 2020

भाग-2

नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आदर्श नगर ज़ोन में स्थित 4 म 46 जवाहर नगर,वार्ड संख्या 95 जयपुर को नियम विरुद्ध मानते हुए किया गया सील|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

मकान संख्या 4 म 46 जवाहर नगर पर बन रहे अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स को नगर निगम हैरिटेज के आदर्श नगर ज़ोन ने किया सील

नगर निगम हैरिटेज के वार्ड संख्या 94 से नव निर्वाचित भाजपा पार्षद महोदय श्री घनश्याम चंदलानी द्वारा मकान संख्या 4 म 46,जवाहर नगर पर बिना सेटबैक,बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना करवाए व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था,जिसकी लगातार शिकायतें नगर निगम के आला अधिकारीयों तक पहुँच रही थी परन्तु श्री चंदलानी द्वारा स्थानीय अधिकारीयों की भेंट-पूजा समय-समय पर कर देने से इस अवैध इमारतों का लाख शिकायतों के बावजूद बाल भी बांका नहीं हो सका था|

स्थानीय विधायक रफीक खान की दखलंदाजी के बाद स्थानीय प्रशासन ने किया सील

इस मामले की लगातार शिकायतें नगर निगम के आला अधिकारीयों सहित स्थानीय विधायक श्री रफीक खान तक भी पहुँच रही थी|जानकारों के अनुसार घनश्याम चंदलानी ने जिस कांग्रेसी उम्मीदवार ठाकुरदास को चुनावों में हराया था,उसकी कारसेवा का ही नतीजा है कि स्थानीय विधायक रफीक खान की दखलंदाजी के चलते नगर निगम को इस कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ा|

अब क्या करेंगे पार्षद साहब?

नगर निगम की इस एकाएक कार्यवाही से भाजपा पार्षद महोदय सकते में है,अब उनके सामने एक ही विकल्प है कि वह विधायक श्री रफीक खान की शरण में चले जाए,क्यूंकि पार्षद महोदय एक बिजनेसमैन आदमी है और उनकी करीब दर्जनभर कंस्ट्रक्शन साईटें राजा पार्क क्षेत्र में चल रही है जो कि विधायक रफीक खान के निर्वाचन क्षेत्र में आती है|ऐसे में नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना पार्षद महोदय के लिए मुनासिब नही है|

पार्षद महोदय के अन्य अवैध प्रोजेक्टस का क्या होगा भविष्य?

बहरहाल पार्षद महोदय के इस प्रोजेक्ट को तो कुछ समय के लिए ग्रहण लग ही गया है परन्तु जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्तमान में पार्षद महोदय के दर्जन भर अवैध प्रोजेक्ट्स इसी ज़ोन में चल रहे है जिस पर हाल फिलहाल तो उपायुक्त महोदय श्री रामकिशोर मीणा द्वारा आँखे मुंदी हुई है लगता है उनपर कार्यवाही के लिए भी विधायक साहब का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा|

झूठे शपथ पत्र से खोली जा सकती है सील|

अमूमन देखा गया है कि नगर निगम के शातिर भूमाफिया अपने अवैध निर्माणों की सील महज एक शपथपत्र के आधार पर खुलवा लेते है|इस शपथपत्र में उसे केवल यह तथ्य सत्यापित करना पड़ता है कि वह एक निश्चित समयावधि में स्वयं के खर्चे पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटा लेगा परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है,भूमाफिया सील खुलवा कर बिना अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटवाए ही बिल्डिंग का बाकि काम पूरा कर लेता है और बिल्डिंग का माल बेचकर निकल जाता है|

परन्तु सरकार के आदेशानुसार इमारतों की सील खोलने के लिए स्वायत शासन विभाग की पूर्वानुमति जरुरी

स्वायत शासन विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश 19/32943 दिनांक 24/09/2019 से समस्त नगरीय निकायों को आदेशित किया है कि उनके द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतरगर्त सील की गयी सभी ईमारतों की सील खोलने हेतु निदेशक,स्वायत शासन विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक है |देखना यह है कि इस आदेश के बाद आदर्श नगर ज़ोन के उपायुक्त श्री राम किशोर मीणा,पार्षद महोदय के प्रभाव/आव भगत से प्रभावित होकर स्वविवेक से बिना स्वायत शासन विभाग की अनुमति लिए ही सील खोल देते है या फिर पार्षद महोदय को सील खुलवाने के लिए स्वयं ही स्वायत शासन विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे|

सील खोलने से पूर्व स्वायत्त शासन विभाग से पूर्वानुमति लेने हेतु जारी राज्यादेश

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32943 जयपुर,दिनांकः24/09/19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 में भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए है। जिन भवनो में बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है या जो भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया है तथा भवन विनियमो के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में ऐसे भवन या उनके भाग को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7)(एफ) के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सीज करने के अधिकार प्रदत्त है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से अपील प्राधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती दी जा सकती है। धारा 194 (7)(एफ) में यह प्रावधित किया गया है कि किसी भी भवन/परिसर को या उसके किसी भाग को अभिग्रहित (Seize) किया जा सकता है।

सीज खोले जाने के संबंध में विभागीय परिपत्र कमांक प.8(ग)(40) नियम/डीएलबी/14/4908–5101 दिनांक 25.08.14 एवं पत्र कमांक प.8(ग) (40)नियम/डीएलबी/14/12548 दिनांक 01.10.2015 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 में सीज किये भवनो को सीज मुक्त किये जाने के संबंध में गठित कमेटी द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के स्तर पर सीज शुदा परिसर को सीज मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। उक्त दोनो परिपत्र दिनांक 25.08.14 एवं 01.10.15 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

धारा 194(7)(एफ) के अन्तर्गत जारी आदेश को भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष धारा 194 (12) में चुनौती दी जा सकती है।

अतः विभागीय परिपत्र दिनांक 01.10.15 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 के प्रावधानो को अतिकमित करते हुए विभागीय आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/28670 दिनांक 04.06.2019 की निरन्तरता में सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भवन/परिसर को सीज करने के पश्चात् नगरीय निकायो के स्तर पर सीज नहीं खोली जावे। यदि किसी भवन/परिसर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा सीज कर दिया जाता

है, तब उक्त धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से ही अपील अधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। माननीय न्यायालय अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भवन/परिसर को सीज खोलने के निर्णय के अलावा नगरीय निकाय स्तर पर सीज खोलने का निर्णय नहीं लिया जावें।

यदि किसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किसी भी भवन/परिसर में लगाई गई सील को खुलवाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा जावे तो वह कारणो का उल्लेख करते हुए निदेशालय के निदेशक के समक्ष सम्पूर्ण विवरण के सहित स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवावें, ताकि उक्तानुसार प्राप्त अभिशंषा पर निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् सील खोलने बाबत् आदेश जारी किया जावेगा।

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32454-33341 दिनांकः 24/08/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
06. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
07. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

पार्षद घनश्याम चंदलानी के सभी अवैध निर्माणों की काली कहानी अगले अंक में जारी.....